पीडब्ल्यूआर एक
पीआर नंबर 37321
परमिट पिटीशन एक नई दिल्ली
संपादक– यह विज्ञप्ति आपको एशियानेट के साथ संपन्न हुई व्यवस्था के तहत प्रेषित की जा रही है । पीटीआई पर इसका कोई संपादकीय उत्तरदायित्व नहीं है ।
परमिट्स फाउंडेशन ने प्रत्यर्पित पत्नियों को भी काम करने देने की अनुमति के लिए भारत सरकार के पास आवेदन किया
नई दिल्ली, 30 नवंबर, पीआरन्यूजवायर– एशियानेट ।
– भारत से प्रतिभाएं घट रही हैं और वे वैश्विक कंपनियों का रुख कर रही हैं ।
– यहां के खराब वीजा नियम पति–पत्नी दोनों को कैरियर बनाने में समर्थन नहीं करते हैं ।
– ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया सहित 17 देशों ने कारपोरेट, वैश्विक संगठनों तथा सरकारी स्तर पर प्रत्यर्पित कर्मचारियों के जीवनसाथी को आसानी से काम करने की अनुमति प्रदान की है ।
एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी कारपोरेट संस्था परमिट्स फाउंडेशन ने एक संवर्धित वीजा कानून के जरिये उन प्रत्यर्पित कर्मचारियों के जीवनसाथियों को भी रोजगार के अधिकार उपलब्ध कराने के मौजूदा कानून में बदलाव के निर्देश देने वाला एक अभियान शुरू किया है जिनका इंट्रा–कारपोरेट स्तर पर विदेशों में तबादला हुआ है ।

फाउंडेशन वर्क परमिट नियमों में सुधार लाने के जरिये प्रत्यर्पित कर्मचारियों की पत्नियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रोत्साहित करती है । फाउंडेशन ने इस संदर्भ में संबंधित मंत्रालयों में अपनी अर्जी भी दी है और इसे शीर्ष भारतीय उद्योग संगठनों का समर्थन भी मिला है ।

: फोटो : एचटीटीपी : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट न्यूजकाम डाट काम, सीजीआई–बीआईएन, पीआरएनएच, 20091129, पीआईवी368845 :

भारत में ब्यूरो आफ इमिग्रेशन द्वारा लागू नियम ऐसे प्रत्यर्पित कर्मचारियों के जीवनसाथियों को रोजगार करने से वंचित रखते हैं यदि वे रोजगार वीजा के लिए नया और स्वदेश स्थित आवेदन नहीं करते हैं । इस तरह के आवेदन से उस देश में परिवारवालों की मौजूदगी का कोई लाभ नहीं मिल पाता है और इस तरह के आवेदनों को किसी रोजगार वीजा आवेदन के तौर पर ही माना जाता है । ब्यूरो आफ इमिग्रेशन का मानना है कि ''यदि कर्मचारियों के जीवनसाथी भारत में कोई रोजगार पाने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपने स्वदेश लौटकर वांछित रोजगार वीजा हासिल करने की जरूरत पडेगी ।''

इसके परिणामस्वरूप जीवनसाथी को खर्च, जटिलता और तनाव का सामना करना पडता है और इसलिए आम तौर पर वे विदेशों में रह रहे अपने जीवनसाथी को सहयोग करने के लिए अपने कैरियर से समझौता कर लेते हैं ।

अपने पहले कदम के तौर पर परमिट्स फाउंडेशन ने गृह मंत्रालय को प्रस्तावित किया है कि वह भारत में एफआरआरओ लागू करते हुए इंटर–कंपनी स्थानांतरण के आधार पर प्रत्यर्पित कर्मचारियों के जीवनसाथियों को अपने वीजा स्टेट्स में बदलाव की अनुमति प्रदान करे । इसके साथ ही परमिट्स फाउंडेशन ने उन आवेदकों के लिए एक विशेष श्रेणी निर्मित करने का प्रस्ताव दिया है जिनका भारत में तबादला इंट्रा–कारपोरेट हस्तांतरण के आधार पर किया गया है और उन आवेदकों के लिए भी इसी तरह की एक समान श्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जो इस श्रेणी के वीजाधारकों की पत्नियां या आश्रित हैं जैसा कि अन्य देशों के मामले में होता है ।

परमिट्स फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य कैथलीन वान डेर विल्क–कार्लटन के मुताबिक, ''परिवारों में दोहरे कैरियर वालों की बढती संख्या को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियोक्ता वर्क परमिट की परेशानियों को जीवनसाथियों की गतिशीलता के लिए एक बडी बाधा मानते हैं ।

आज कई देश विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ गए उनके जीवनसाथियों को रोजगार दिलाने की सुविधा प्रदान करने लगे हैं । परमिट्स फाउंडेशन एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आबादी के फायदे के लिए बदलाव की दलील देती है : यह आबादी वैश्विक कारपोरेशनों या वैश्विक संगठनों तथा सरकारी विदेशी सेवाओं के तहत विदेश प्रत्यर्पित होती है । यह मुद्दा भारतीय वैश्विक कंपनियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारतीय विदेश सेवाओं के लिए और परमिट्स फाउंडेशन उनके जीवनसाथियों को रोजगार करने का अधिकार दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तन लाने की मुहिम चला रही है । आज दो तिहाई से ज्यादा प्रत्यर्पित कर्मचारियों पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि उनके लिए भारत एक अनाकर्षक स्थल है क्योंकि उनके जीवनसाथी को यहां आसानी से काम करने का अधिकार नहीं दिया जाता है । इन कार्यक्रमों के जरिये परमिट्स फाउंडेशन भारत को पसंदीदा वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है । वैश्विक अभियानों के जरिये भारतीय कंपनियों तथा व्यापक प्रतिबद्धता वाले ट्रांस–नेशनल कारपोरेशनों दोनों को मजबूती प्रदान की जा सकती है ।''

वर्तमान में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, हांगकांग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन तथा अमेरिका : मसलन एल–ई वीजा : भारत सहित सभी देशों से प्रत्यर्पित कर्मचारियों के जीवनसाथियों को एक खुला वर्क परमिट हासिल करने की अनुमति प्रदान करते हैं जिसके तहत वे किसी भी नियोक्ता के लिए या स्वयं रोजगार शुरू कर सकते हैं । इसके अलावा बेल्जियम, जर्मनी, जापान, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश ऐसे कर्मचारियों के जीवनसाथी को एक सामान्य स्थानीय प्रक्रिया के जरिये किसी खास नियोक्ता के लिए काम करने देने की अनुमति देते हैं जिन्हें इन नियोक्ताओं से रोजगार की पेशकश की जाती है और इसमें श्रम बाजार की परीक्षा से उन्हें नहीं गुजरना पडता है ।

परमिट्स फाउंडेशन के बारे में :

परमिट्स फाउंडेशन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की गैर लाभकारी कारपोरेट संस्था है जो वर्क परमिट नियमों में सुधार के जरिये अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों की पत्नियों और जीवनसाथियों को रोजगार हासिल करने देने को प्रोत्साहित करती है ।

वैश्विक स्तर के अन्य संगठनों के अलावा ब्रिटिश एयरवेज, बाश, एरिक्शन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, श्कलंबरगर, शेल, यूनिलीवर, एस्ट्राजेनेका, बीएमडब्ल्यू, टीएनटी जैसी 40 से ज्यादा बडी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां परमिट्स फाउंडेशन का समर्थन करती हैं । ये कंपनियां विविधतापूर्ण कारोबारियों से समर्थन का एक विकसित और व्यापक आधार प्रस्तुत करती हैं । परमिट्स फाउंडेशन अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, हांगकांग और मलेशिया में बदलाव लाने में सफलतापूर्वक योगदान कर चुकी है । यह फिलहाल यूरोपीय संघ और एशिया के कई देशों में सुधार लाने का प्रयास कर रही है और वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है ।

स्रोत : परमिट्स फाउंडेशन

संलग्न तस्वीरों का लिंक :

एचटीटीपी : एशियानेटन्यूज डाट नेट, व्यू–अटैचमेंट?अटैच–आईडी––141787

पीआरन्यूजवायर– एशियानेट : रंजन